



भारत सरकार /Government of India

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय /Ministry of Labour & Employment
खान सुरक्षा महानिदेशालय /Directorate General of Mines Safety

पश्चिमी अंचल, नागपुर /Western Zone, Nagpur

6वां तल, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, सेमीनरी हिल्स, नागपुर 440006

दूरभा 1रू 0712-2511026, ई-मेल: wz1.dgms@gmail.com



पत्र संख्या : प.अं./एसी-निस्तारण निविदा/ 892

दिनांक : 11.03.2024

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खान सुरक्षा महानिदेशालय, पश्चिमी अंचल, नागपुर के सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक - ए, छठवाँ तल, सेमीनरी हिल्स, नागपुर - 440 006 स्थित कार्यालय में पुराने/बेकार/ अनरिपेयरेबल/अनुपयोगी एयर कंडीशनरों के नियमानुसार निस्तारण हेतु "जैसा है, जहां है- कोई शिकायत नहीं" आधार पर ई-निविदा 'जेम पोर्टल (<https://www.gem.gov.in/>) के 'फारवर्ड ऑकशन (ओपन बिड)' माध्यम से दिनांक 12.03.2024 से 01.04.2024 तक आमंत्रित की जा रही है। निविदा के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं :

This is to inform the general public (prospective registered buyer firms) that **e-tender for disposal of old/unreparable & obsolete Air conditioners** in office of the Directorate General of Mines Safety, Western Zone, 6TH Floor, Block – A, CGO Complex, Seminary Hills, 440006 is invited "AS-IS WHERE-IS & NO COMPLAINT" basis through "Forward Auction (open bid) from dated 12.03.2024 to 01.04.2024 on GeM Portal (<https://www.gem.gov.in/>)". The terms and conditions of the tender are as follows:

बिक्री के लिए कार्यालय में उपलब्ध पुराने वस्तुओं के स्क्रेप का विवरण-

Sr. No.	Scrap items	Total items	Remark
1	Usha make Window AC	2	"जहां है, जैसा है- कोई शिकायत नहीं" आधार पर "As-Is-Where-Is & No Complaint" Basis
2	LG make Split AC	2	
3	Amtrex make Window AC	2	
4	Carrier make Alpine Window AC	2	
5	Lloyd make Window AC	1	

स्थान/पता:

खान सुरक्षा महानिदेशालय, पश्चिमी अंचल, 6वाँ तल, ब्लॉक - A, सी. जी. ओ. कॉम्प्लेक्स, नागपुर (महाराष्ट्र), दूरभाष : 0712-2511026, मोबाईल : 9407813398 / 9764694869

1. पात्रता शर्तें और आवश्यक दस्तावेज:
Eligibility conditions & documents required:

- i) निविदाकर्ता के पते के प्रमाण की प्रति यथा; आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड या पासपोर्ट या बोली लगाने वाले के किसी अन्य प्रमाणित दस्तावेज की प्रति।
Copy of proof of address viz Adhaar Card or Voter ID Card or Ration Card or Passport or any other authenticated document of the bidder.

- ii) पैन कार्ड की प्रति
Copy of PAN Card.

- 2) निस्तारण हेतु अधोलिखित प्रस्तावित वस्तुओं को "जैसा है-जहाँ है और कोई शिकायत नहीं" के आधार पर है।

The above listed old and obsolete items, offered for disposal, are on "AS-IS-WHERE-IS & NO COMPLAINT" basis.

- 3) बोलीदाता ध्यान दें कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों की अनुपालना में विद्युत अपशिष्ट सामग्री का निपटान पर्यावरण अनुकूल तरीके से करना आवश्यक है।

The bidders should note that the disposal of electrical waste material is required to be disposed off in an environment-friendly manner in compliance with the guidelines issued by the Government of India.

- 4) चूंकि उपरोक्त वस्तुओं की स्थिति "जैसा है, जहाँ है और कोई शिकायत नहीं" के आधार पर है, अतः इच्छुक फर्म/खरीदार अपनी संतुष्टि के लिए उपरोक्त वस्तुओं के बारे में किसी भी कार्य दिवस पर अर्थात् ई-निविदा जारी करने की तिथि से और निविदा खुलने से एक दिन पहले दिनांक (12.04.2024 से 31.03.2024) तक वस्तुओं का निरीक्षण कर सकते हैं। इस संबंध में किसी भी कार्य दिवस (सोमवार से शुक्रवार) में प्रातः 10.00 बजे से सायं 04:00 बजे के मध्य श्री राजेश वंजारकर, प्रशासनिक अधिकारी, पश्चिमी अंचल, नागपुर (मोबाइल नंबर +91 9764694869) से संपर्क कर सकते हैं। निविदा जमा करने के बाद या सामान उठाये जाने से पहले किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा जमा करने के बाद निरीक्षण के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

As the condition of these items is on "As-Is Where-Is & No Complaint" basis. The interested firm/buyer may inspect these items as mentioned above on any working day from 12.03.2024 to 31.03.2024 to satisfy themselves about the items, they are bidding for. In this regard, on any working day (Monday to Friday), **Shri Rajesh Wanjarkar, Administrative Officer, DGMS, Western Zone, Nagpur (Mobile No. +91 9764694869)** can be contacted. No complaint whatsoever will be entertained after the bids are submitted or before or after items are lifted. No request for inspection after submission of the bid will be accepted.

- 5) किसी भी निविदाकर्ता की निविदा/फारवर्ड ऑक्शन, जिसने निर्धारित शर्तों में से एक या अधिक का अनुपालन नहीं किया है, को अस्वीकार किया जा सकता है। सशर्त निविदाओं को भी सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। निविदा अहस्तांतरणीय होगी।

The tender/forward auction by any tenderer, who has not complied with one or more of the conditions prescribed is liable to be rejected. Conditional tender shall also be summarily rejected. Tender shall be non-transferable.

- 6) खान सुरक्षा महानिदेशालय ने निविदा/फारवर्ड ऑक्शन के उचित मूल्यांकन के मददेनजर निविदाकर्ताओं से अतिरिक्त जानकारी मांगने का अपना विवेक सुरक्षित रखा है।

The Directorate General of Mines Safety reserves its discretion to ask for additional information from the tenderer(s) in view of proper evaluation of the tender/forward auction.

- 7) निविदा/फारवर्ड ऑक्शन की शर्तों के अनुसार डी.जी.एम.एस. द्वारा निविदाओं की जांच/सत्यापन किया जाएगा, तदुपरांत पात्र मूल्य निविदाएं खोली जाएंगी। उच्चतम बोली लगाने वाले निविदाकर्ता को एच-1 बोलीदाता के रूप में चुना जाएगा।

The tender/forward auction shall be scrutinized / verified by DGMS in terms of the tender and subsequently the eligible PRICE BIDS shall be opened. The tenderer, who has quoted highest price, shall be selected as H-1 bidder.

- 8) खान सुरक्षा महानिदेशालय, पश्चिमी अंचल, नागपुर उपरोक्त वर्णित वस्तुओं की सुपुर्दगी के अंतिम आदेश जारी होने तक और सफल बोलीदाता से पूर्ण राशि का भुगतान प्राप्त होने तक अपने स्वामित्व को बरकरार रखेगा।

Directorate General of Mines Safety, Western Zone shall retain the title and ownership of the above mentioned items till the payment of full amount is received from the successful bidder and final letter of handing over of the items is issued.

- 9) सफल बोलीदाता का निर्धारण निविदा में उद्धृत उच्चतम दरों के आधार पर किया जाएगा। उच्चतम सफल बोलीदाता को बिक्री आदेश जारी होने पर पूरी राशि ऑनलाइन मोड (<https://bharatkosh.gov.in/> के माध्यम से) जमा करके जमा रसीद खान सुरक्षा महानिदेशालय, पश्चिमी अंचल, नागपुर (महाराष्ट्र) कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

The successful bidder will be decided on the basis of highest rates quoted in the tender. The highest successful bidder will have to deposit the entire amount in online mode (through <https://bharatkosh.gov.in/>) and submit the deposit receipt to the office of the Directorate General of Mines Safety, Western Zone, Nagpur 440006 (Maharashtra).

- 10) निविदा में दर्शाई गई वस्तुओं के समूह/खेप के आधार पर "एकमुश्त" कीमत लगाई जाना आवश्यक है। निविदा खुलने पर सभी सामानों के लिए दर्शाई गई एकमुश्त अधिकतम राशि लगाने वाली निविदा फार्म को उक्त सारणी में प्रदर्शित वस्तुओं का स्कैप उठाने की अनुमति दी जाएगी, यह निविदा अहस्तांतरणीय होगी।

Lump sum" price is required to be quoted on the basis of group/consignment of items shown in the tender. At the time of opening of tender, the tender form quoting the maximum lump sum amount quoted for all the items will be allowed to lift the scrap of the items shown in the above table. This tender will be non-transferable.

- 11) निविदा पत्र में निविदा फार्म का पूर्ण पता एवं जिम्मेदार व्यक्ति का दूरभाष/मोबाइल क्रमांक अवश्य दर्शाया जाना चाहिए।

The complete address of the tender form and telephone/mobile number of the responsible person should be mentioned in the tender letter.


- 12) निविदा खुलने के उपरांत कार्यालय से विक्रय पत्र जारी होने के 15 दिनों के भीतर क्रेता की ओर से निविदा में उल्लेखित राशि का भुगतान सामान उठाने से पूर्व इस निदेशालय को <http://bharatkosh.gov.in> के माध्यम से ऑनलाइन करके जमा इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। क्रेता द्वारा एक बार सामान प्राप्त करने / स्वीकार करने के उपरांत सामान से संबन्धित किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी विक्रेता की नहीं होगी।

After the opening of the tender, within 15 days of the issue of sale letter from the office, the buyer has to pay the amount mentioned in the tender and deposit it through online portal <http://bharatkosh.gov.in> before lifting the same. Once the buyer receives/accepts the goods, the seller will not have any responsibility related to the items.

- 13) विक्रय पत्र दिए जाने के उपरांत क्रेता द्वारा निश्चित समयावधि में सामान नहीं उठाने पर निविदा के समस्त सामान पर विक्रेता का पूर्ण अधिकार होगा, जिसका क्रेता को बिना कोई सूचना दिए नियमानुसार अन्य तरीकों से निस्तारण किया जा सकेगा ।
After the sale letter is given, if the buyer does not pick up the goods within the stipulated time limit, the seller will have full rights over all the items under the tender, which can be disposed off by other means as per rules without giving any notice to the buyer.
- 14) इस निदेशालय के पास निविदा को कोई कारण बताए आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा गया है ।
This Directorate reserves the right to accept or reject the tender partially or completely without assigning any reason.
- 15) बोली की राशि जी.एस.टी. शुल्क को छोड़कर होगी । उच्चतम बोलीदाता को ही पूरी नीलामी राशि पर लागू जीएसटी को वहन करना होगा।
The bid amount shall be excluding the GST charges. The highest bidder will bear the applicable GST on the entire auction amount.
- 16) भारतकोष द्वारा प्राप्त रसीद के अतिरिक्त इस कार्यालय द्वारा कोई और रसीद नहीं दी जाएगी ।
Apart from the receipt received by Bharatkosh, no other receipt will be given by this office.
- 17) उपरोक्त सामान को इस निदेशालय से उठाने के लिए आवश्यक जनशक्ति एवं वाहन की व्यवस्था बोलीदाता द्वारा स्वयं अपने खर्चे पर की जाएगी।
The required manpower & transport for lifting the above items from this Directorate is to be arranged by the bidder himself at his cost.
- 18) निविदा दस्तावेज के संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ और स्पष्टीकरण के लिए श्री पंकज कुमार जैन, निदेशक खान सुरक्षा (यांत्रिकी), खान सुरक्षा महानिदेशालय, पश्चिमी अंचल, नागपुर 440006 (महाराष्ट्र) से संपर्क किया जा सकता है।
For any sort of query and clarifications regarding the tender document Shri Pankaj Kumar Jain, Director of Mines Safety (Mechanical) DGMS, Western Zone, Nagpur, CGO Complex, Seminary Hills, Nagpur (Maharashtra) may be contacted.
- 19) खान सुरक्षा महानिदेशालय बिना कोई कारण बताए किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
The Directorate General of Mines Safety reserves the right to accept/reject any or all offers without assigning any reason thereof.
- 20) सफल बोलीदाता को भारत में लागू कानूनों का पालन करना होगा।
The successful bidder shall have to comply with the laws in force in India.

21) किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिला मुख्यालय पर स्थित सक्षम न्यायालय में ही विचारणीय होगा।

Jurisdiction of any kind of judicial dispute will be triable only in the competent court located at Nagpur District Headquarters in the Maharashtra state.


11-03-2024

(पंकज कुमार जैन)

खान सुरक्षा निदेशक (यां.)

खान सुरक्षा महानिदेशालय,

पश्चिमी अंचल, नागपुर